[2019] 13 एस. सी. आर 670

एल. आर. एस. द्वारा इलोथ वालापिल अम्बुन्ही (डी)।

वी.

कुंहंबु करणवन

(2011 की सिविल अपील सं. 1429)

सितंबर 19,2019

[इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना, जे. जे.]

एक 'आर' के लिए उपहार विलेख और हस्तांतरण विलेख के मुकदमे को रद्द करने की घोषणा ने उत्तरदाताओं के पक्ष में उपहार विलेख को निष्पादित किया उपहार विलेख में कहा गया है कि कब्जा दिया गया था-'आर' ने बाद में रद्द करने के विलेख द्वारा उपहार को रद्द कर दिया और संपत्ति को मूल अपीलकर्ताओं को बेच दिया।

अपीलार्थियों, मुक़दमे की संपत्ति का अधिकार उन्हें दिया गया था और मूल अपीलार्थी द्वारा मुक़दमा खरीदे जाने के काफी समय बाद

सम्पत्ति, उत्तरदाताओं ने घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया जिसका विलेख रद्द करना और हस्तांतरण का विलेख अमान्य था, अमान्य और अमान्य उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वे उपहार विलेख के आधार पर सूट संपत्ति के मालिक थे-निचली अदालत ने उस उपहार को माना

निष्पादित विलेख प्रभावी नहीं हुआ था, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया था और रद्द करने के साथ-साथ अपीलार्थी को बिक्री का विलेख आयोजित किया गया था।

वैध होने के लिए और मुकदमा खारिज कर दिया गया था-पहली अपीलीय अदालत द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी-हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के समवर्ती फैसलों को दरकिनार कर दिया और प्रतिवादियों को मुकदमा संपत्ति का कब्जा वसूल करने की अनुमति दी। कानून का प्रस्ताव है कि जब उपहार द्वारा हस्तांतरण का कोई दस्तावेज कब्जे के वितरण को दर्ज करता है, तो स्वीकृति की धारणा उत्पन्न होगी, इसके अभाव में

दान पाने वाले द्वारा और/या उसकी ओर से उपहार को अस्वीकार करना अक्षम्य है-उच्च न्यायालय ने सही माना कि जब विलेख

स्वयं कहा कि संपत्ति का कब्जा दाता को दिया गया था, यह साबित करने का बोझ कि उक्त पाठ सही नहीं था, उस पक्ष पर डाल दिया गया जिसने ऐसा दावा किया-उच्च न्यायालय ने भी सही कहा।

निम्नलिखित अदालतों के निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि दान के विलेख को दाता के जीवनकाल के दौरान स्वीकार नहीं किया गया था, उसी की अस्वीकृति के किसी भी सबूत के अभाव में-विलेख दान की शर्तों में दाता को रखरखाव का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में दानदाता को सूट संपत्ति को वापस करने का प्रावधान नहीं था।

उपहार विलेख-इसके अलावा दाता के पास उपहार विलेख को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था-इसलिए, बाद के दस्तावेज अपने आप में बिना अधिकार के और अमान्य थे-दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अनुमति दी गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - s.100 कानून के प्रश्न को तैयार करने में त्रुटि-आयोजितः कानून के प्रश्न को तैयार करने में केवल एक त्रुटि दूसरी अपील में एक निर्णय को रद्द करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि यह पाया जाता है कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है और कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. कानून का प्रस्ताव है कि जब उपहार द्वारा हस्तांतरण का दस्तावेज कब्जे के वितरण को दर्ज करता है, तो एक धारणा

स्वीकार्यता उत्पन्न होगी, उपहार के प्रत्यक्ष अस्वीकृति के अभाव में, और/या दाता की ओर से, असाधारण है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जब विलेख ने स्वयं कहा कि संपत्ति का अधिकार दाता को दिया गया था, बोझ

दानकर्ता द्वारा उपहार विधिवत स्वीकार किया गया था। [पारस 22 और 25] [677-एच; 678-ए-डी-ई] 3. उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि निम्न न्यायालय इस गलत धारणा पर आगे बढ़े थे कि इसके बावजूद भी

एक्सएच में पाठ। ए 1, उपहार विलेख और मामले के स्वीकृत तथ्य होने के कारण, सबूत का भार उत्तरदाताओं पर यह दिखाने के लिए था कि उपहार स्वीकार कर लिया गया था। विचारण न्यायालय आ प्रथम अपीलीय न्यायालयक निष्कर्ष एकटा गलत धारणा [2019] 13 एस. सी. आर. पर आधारित छल।

कानून की नजर में एक मूर्ति के कब्जे के संबंध में कानून और एक्श में प्रासंगिक पाठ। ए 1 (उपहार विलेख)। [पैरा 26] [678-एफ] 4. उच्च न्यायालय ने न्यायालयों के इन निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उपहार का विलेख स्वीकार नहीं किया गया था

दाता के जीवनकाल के दौरान, उसकी अस्वीकृति के किसी भी प्रमाण के अभाव में। उपहार का विलेख प्रदान नहीं किया गया था

दान के विलेख के संदर्भ में दाता को रखरखाव का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में दानदाता को सूट संपत्ति को वापस करने के लिए।

जब वादी को लिखत या डिक्री को रद्द करने या अलग रखने या अनुबंध को रद्द करने का अधिकार देने वाला तथ्य पहले उसे पता चल जाता है। जहाँ तक एक्सएच। ए 1 उपहार विलेख के संबंध में है, दाता के पास इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, बाद के दस्तावेज़ अपने आप में बिना अधिकार और शून्य। घोषणा केवल उपाधि और अधिकार के लिए आकस्मिक थी और इसलिए अनुच्छेद 59 का कोई अनुप्रयोग नहीं था। [पैरा 31] [679-एफ-जी]

सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस बनाम सदी

कताई और विनिर्माण कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1962 एस. सी.

एल. आर. द्वारा सतनाम सिंह (डी)। और अन्य वी। लेहना सिंह (घ) एल. आर. द्वारा। (2019) 7 एस. सी. सी. 641-पर निर्भर।

एस. सरोजिनी अम्मा बनाम वेलायुधन पिल्लई श्रीकुमार (2018) एससीसी ऑनलाइन एससी 2200-प्रतिष्ठित।

मो. नूरुल होदा बनाम। बीबी राइफुन्निसा और अन्य। (1996) 7

एससीसी 767: [1995] 6 पूरक। एससीआर 110; प्रेम सिंह और अन्य। वी. बीरबल और ओआरएस। (2006) 5 एससीसी 353: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 692 को संदर्भित किया गया।

एल. आर. एस. द्वारा इलोथ वालापिल अम्बुन्ही (डी)। वी. कुंहंबु करणवन

मामला कानून संदर्भ

[1962] पूरक। एससीआर 549

पै

रा 10

पीछा किया।

(2019) 7 एस. सी. सी. 641

भरोसा किया

पै

रा 12

[1995] 6 पूरक। एससीआर 110

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2006] 1 पूरक। एससीआर 692

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1429

2011 से।

उच्च न्यायालय के 12.03.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1996 (बी) की धारा ए. सं. 229 में एर्नाकुलम में केरल का न्यायालय।

वी. गिरि, पी. एन. रवींद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , टी. जी. नारायणन नायर

एस. सुकुमारन और अमित शर्मा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

के. राजीव, शिनोज के. नारायणन, ए. कार्तिक, बादुशा सुलेमान

और अंकित जगलान, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदिरा बनर्जी जे।

1. यह अपील 12 मार्च, 2009 के एक फैसले के खिलाफ है।

केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 1996 की दूसरी अपील संख्या 229 पारित की गई, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती फैसलों को दरकिनार कर दिया और घोषणा की कि मुकदमे की संपत्ति चुझली भगवती धर्मदेव की है।

भंडारम (इसके बाद 'भंडारम' के रूप में संदर्भित)।

2. उच्च न्यायालय ने आगे घोषणा की कि कार्य-विलेख

मुकदमा संपत्ति के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में रमन ऐथन आशारी द्वारा निष्पादित दिनांक 31 जुलाई, 1971 अमान्य और अमान्य था। उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी और उत्तरदाताओं को भंडारम के लिए और उसकी ओर से वाद संपत्ति का कब्जा वसूल करने की अनुमति दी।

3. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य बहुत संक्षिप्त हैं।

इसके बाद गणना की गई:

रमन ऐथन आशारी, जिनका इसके बाद रमन के रूप में उल्लेख किया गया है,

भंडारम के पक्ष में उक्त संपत्ति के उपहार का एक विलेख निष्पादित किया। अपीलार्थियों के अनुसार, हालांकि उपहार के विलेख में कहा गया है कि

कब्जा सौंप दिया गया था, उपहार की स्वीकृति या भंडारम के कब्जे में होने का कोई सबूत नहीं था।

उपहार की स्वीकृति के पाठ के आधार पर उत्पन्न हो सकता है दानकर्ता के रूप में उपहार के विलेख में कब्जे का वितरण केवल एक निर्जीव शरीर था और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार करने का कोई सबूत नहीं था।

उसकी ओर से उपहार या अधिकार में प्रवेश करना।

4. अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उपहार प्रभावी नहीं हुआ और रमन ने अपने कब्जे में रहना जारी रखा, इसके लिए किराया और राजस्व का भुगतान किया।

उसके नाम पर संपत्ति। बाद में उन्होंने 15 जुलाई, 1971 को रद्द करने के विलेख द्वारा उपहार को रद्द कर दिया और मूल संपत्ति को बेच दिया।

31 जुलाई, 1971 को अपीलार्थी। इसके बाद मूल अपीलार्थी को अधिकार दिया गया और उसने वाद संपत्ति में सुधार किया।

किझाक्के विठ्ठल तारवाड़ ने घोषणा के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया कि रद्द करने का विलेख और हस्तांतरण का विलेख अमान्य, अमान्य और अमान्य था। 6. यह उत्तरदाताओं का मामला था कि वे भंडारम के मालिक थे जो सूट संपत्ति के मालिक थे

उपहार का कार्य। उपहार विलेख के निष्पादन पर रमन ने खुद को सूट संपत्ति में स्वामित्व से अलग कर लिया था और इसलिए वह सक्षम नहीं था

7. अपीलार्थियों का तर्क है कि अपीलार्थी मूल्य के लिए वास्तविक खरीदार हैं। उन्होंने यह तर्क देते हुए मुकदमे का विरोध किया कि उपहार प्रभावी नहीं हुआ था, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया था, और इसलिए रमन उपहार को रद्द करने और अपीलार्थी को संपत्ति बेचने में पूरी तरह से उचित थे। 8. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत ने साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रमन द्वारा निष्पादित उपहार प्रभावी नहीं हुआ था, क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया गया था। तदनुसार रद्द करने के विलेख के साथ-साथ अपीलार्थी को बिक्री को वैध माना गया और मुकदमा खारिज कर दिया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की गई।

9. यह सच है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, कि उच्च न्यायालय दूसरे मामले में ऐसा नहीं करता है।

अपील, साक्ष्य का पुनः विश्लेषण शुरू करें और तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करें।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एल. आर. एस. द्वारा स्थिति आई. एल. एल. ओ. टी. एच. वालापिल अम्बुनही (डी) है। वी. कुंहंबु करणवन [इंदिरा बनर्जी जे.]

सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत हस्तक्षेप का उदाहरण कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अस्तित्व है। 10. कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को इस न्यायालय के असंख्य निर्णयों द्वारा हल किया गया है। संदर्भ दिया जा सकता है

सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस बनाम संविधान पीठ का निर्णय। द सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314 में रिपोर्ट किया।

11. चुनिलाल (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए उचित परीक्षण है कि क्या कानून का सवाल उठाया गया है। मामले में महत्वपूर्ण होगा, चाहे वह सामान्य सार्वजनिक महत्व का हो या क्या यह प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक के अधिकारों को प्रभावित करता है

पक्षकार, और यदि ऐसा है, तो क्या यह इस अर्थ में एक खुला प्रश्न है कि यह अंततः इस न्यायालय या प्रिवी काउंसिल या संघीय न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है, या कठिनाई से मुक्त नहीं है, या वैकल्पिक विचारों की चर्चा का आह्वान करता है। यदि प्रश्न का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, या प्रश्न का निर्धारण करने में लागू किया जाने वाला सामान्य सिद्धांत अच्छी तरह से तय हो जाता है और उन सिद्धांतों को लागू करने का केवल सवाल है, या यह कि उठाई गई याचिका स्पष्ट रूप से बेतुकी है, तो प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होगा। उपरोक्त मामले में, प्रबंध अभिकरण समझौते का निर्माण न केवल कानून का प्रश्न पाया गया, बल्कि न तो सरल और न ही संदेह से मुक्त पाया गया और तदनुसार उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को एक प्रमाण पत्र देने से इनकार करने में त्रुटिपूर्ण माना गया कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था। 12. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने एल. आर. द्वारा वर्णम सिंह (डी) मामले में इस अदालत के हाल के एक फैसले का हवाला दिया है। और एल. आर. द्वारा अन्य बनाम लेहना सिंह (डी)। 2019 (7) एस. सी. सी. 641 में रिपोर्ट की गई, जहां इस न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि 1976 के संशोधन के बाद सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत दूसरी अपील पर विचार करने का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न तक ही सीमित है। इस प्रकार सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए "कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न" का अस्तित्व एक अनिवार्य शर्त है।

13. वर्णम सिंह के मामले (ऊपर) में इस अदालत ने कहा कि सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करें, जब तक कि यह न पाए कि न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत थेः

(1.) लागू कानून के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत;

(2) इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के विपरीत; या

(3) अस्वीकार्य साक्ष्य या कोई सबूत नहीं के आधार पर।

14. यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि एक तथ्यात्मक पर पहुंचने में विकृति

चाहे exh. ए 1-उपहार विलेख को दाता की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद दाता द्वारा एकतरफा रूप से रद्द किया जा सकता है? 16. वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रश्नों को स्पष्ट रूप से गलत परिसर में तैयार किया गया है जिस पर उपहार स्वीकार किया गया था।

दाता की ओर से, जब वास्तव में, विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय दोनों ने अपने निष्कर्ष में सहमति व्यक्त की थी कि उपहार कभी नहीं दिया गया था

स्वीकार कर लिया। 17. अन्य प्रश्न, अर्थात क्या रद्दीकरण विलेख Ex.P11 होना हस्तांतरण की धारा 126 के प्रावधानों के विपरीत था।

इसे कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तथ्य के प्रश्न हैं, जैसा कि वकील ने तर्क दिया है। 18. हो सकता है कि पहला प्रश्न ठीक से तैयार नहीं किया गया हो। शायद इस सवाल को पढ़ना चाहिए था- क्या उपहार विलेख की अस्वीकृति के संबंध में निचली अदालत का निष्कर्ष, जिसकी अपील में पुष्टि की गई थी, विकृति से दूषित था और यदि इसे इतना दूषित किया गया था, तो क्या दाता द्वारा विलेख का एकतरफा निरसन, कानून में कायम रखा जा सकता है।

19. उच्च न्यायालय के फैसले का सावधानीपूर्वक अध्ययन

अपील यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि वे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें वास्तव में संबोधित किया गया है। हमारे विचार में, कानून के प्रश्न को तैयार करने में केवल एक त्रुटि दूसरी अपील में एक निर्णय को दरकिनार करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगी, यदि यह पाया जाता है कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न मौजूद है और कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है जैसा कि इस मामले में है।

एल. आर. एस. द्वारा इलोथ वालापिल अम्बुन्ही (डी)। वी. कुंहंबु करणवन [इंदिरा बनर्जी जे.]

20. उच्च न्यायालय ने विलेख के पाठ पर उचित रूप से ध्यान दिया जिसमें अधिकार प्राप्तकर्ता को अधिकार की डिलीवरी दिखाई गई थी। पाठ ई-विलेख का उपहार इस प्रकार हैः

" जैसा कि ऊपर वर्णित है, मैं एतद्वारा उपरोक्त दैवा भंडारम के खर्चों के लिए उपहार के रूप में उल्लिखित संपत्तियों का कब्जा देता हूं जो तारवार्ड के ऊपर है और जिसमें मैं

उनके पास स्वामित्व अधिकार भी हैं।

इसलिए आज से आप और हमारी अनुपस्थिति में हमारे तारवाड़ में जो लोग चुझली अयथन आदि के संस्कारों का पालन करते हैं, उनके पास नीचे दी गई अनुसूची में दी गई संपत्तियों का कब्जा होगा और वे समय-समय पर करों का भुगतान करके धर्मदैवम के खर्चों को पूरा करेंगे और 1131 (एम. ई.) से हर साल कुंभम की 30 तारीख से पहले मुझे मेरे जीवन का ब्याज देंगे। उक्त राशि मुझे मेरी मृत्यु तक दी जाएगी और उसी की रसीद प्राप्त की जाएगी। अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर उपरोक्त जीवन ब्याज के अलावा मेरा कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

उच्च न्यायालय ने आगे कहाः - :

" 8. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उपहार की स्वीकृति के संबंध में कोई धारणा नहीं हो सकती है, चाहे वह कठिन न हो और

यह दिखाने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए कि उपहार दाता के जीवनकाल के दौरान स्वीकार किया गया था, लेकिन उन निर्णयों में जो कहा गया है वह उपहार की स्वीकृति के बारे में अनुमान से संबंधित है। लेकिन

जब दस्तावेज़ ने स्वयं यह पढ़ा कि संपत्ति दाता को दी गई थी, फिर, एक अनुमान

उपहार की स्वीकृति दान पाने वाले के पक्ष में होगी।

21. कानून का प्रस्ताव है कि जब हस्तांतरण का दस्तावेज कब्जे के वितरण को दर्ज करता है, तो स्वीकृति की धारणा

डी उत्पन्न होता है, उपहार के स्पष्ट अस्वीकृति के अभाव में, और/या आधे दाता द्वारा, असाधारण है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था, विलेख में ही कहा गया था कि संपत्ति का कब्जा दिया गया थाकिया, साबित करने का बोझ, कि उक्त पाठ सही नहीं था, n पक्ष जिसने ऐसा दावा किया। हमारे विचार में, कानून ने सही किया है

उच्च न्यायालय द्वारा सराहना और प्रतिपादन किया गया।

22. उच्च न्यायालय ने इस पाठ पर इस प्रभाव से ध्यान दिया कि

उपहार की तारीख से भंडारम को संपत्ति का आनंद लेना था, जो कब्जे के हस्तांतरण का मजबूत प्रमाण था।

23. उच्च न्यायालय ने ठीक ही पाया कि उपहार विलेख में ऐसा कोई निर्देश नहीं था जिसने उपहार को भारी बना दिया जैसा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 127 में समझा गया है। अपीलार्थियों के लिए पूरी निष्पक्षता में, उच्च न्यायालय के समक्ष इस पर बहस भी नहीं की गई है। उपहार भारी नहीं होने के कारण, ऐसा कोई कारण नहीं था कि मलिंगन चुझली आशारी को भंडारम की ओर से उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

24. उच्च न्यायालय ने कहाः

" यह निर्विवाद है कि एक मूर्ति को सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए नाबालिग माना जाना चाहिए। इसलिए, एक्स्ट के अनुसार उपहार की स्वीकृति। अल दाता की ओर से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह विवादित नहीं है कि मालिंगान चुझाली आशारी Ext.Al के समय में थारावाड़ के कर्णवान थे और मालिंगान चुझाली आशारी के साथ, दाता (रमन ऐथन आशारी) भी थे।

भंडारम के ट्रस्टी। ”

25. जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मलिंगन चुझली आशारी और दाता रमन भंडारम के न्यासी थे

(दान) उपहार विलेख के निष्पादन के समय। यह तथ्य कि रमन या भंडारम के किसी अन्य न्यासी द्वारा उपहार को अस्वीकार करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि उपहार के विलेख को विधिवत रूप से स्वीकार किया गया था।

भंडारन।

26. उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि नीचे के न्यायालय इस गलत धारणा पर आगे बढ़े थे कि एक्श में पाठ के बावजूद भी। ए 1, उपहार विलेख और मामले के स्वीकृत तथ्य होने के कारण, सबूत का भार उत्तरदाताओं पर यह दिखाने के लिए था कि उपहार स्वीकार कर लिया गया था। निचली अदालतों और प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्ष कानून की नजर में एक मूर्ति के कब्जे और एक्श में प्रासंगिक पाठों के संबंध में कानून की गलत धारणा पर आधारित थे। अल (उपहार का कार्य)।

27. उच्च न्यायालय ने न्यायालयों के इन निष्कर्षों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि इस अवधि के दौरान उपहार का विलेख स्वीकार नहीं किया गया था।

दाता का जीवनकाल, उसी की अस्वीकृति के किसी भी प्रमाण के अभाव में। उपहार के विलेख में उपहार के विलेख के संदर्भ में दाता को रखरखाव का भुगतान करने में विफलता के मामले में दाता को सूट संपत्ति को वापस करने का प्रावधान नहीं था। इसलिए उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रमन एल. आर. एस. द्वारा इलौथ वालापिल अम्बुनही (डी) के विलेख को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं था।

वी. कुंहंबु करणवन [इंदिरा बनर्जी जे.]

रद्द करना या हस्तांतरण का विलेख, क्योंकि वह वाद संपत्ति का मालिक नहीं रह गया था।

28. में एम. नूरुल होदा बनाम बीबी राइफुन्निसा और अन्य। रिपोर्ट की गई

(1996 (7) एस. सी. सी. 767) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 लागू होगा यदि कोई प्रभावित व्यक्ति किसी डिक्री या किसी लिखत या अनुबंध का पक्षकार है जिस पर मुकदमा शुरू करके सवाल उठाया गया था। अनुच्छेद 59 पक्षों के बीच फरमानों, उपकरणों या अनुबंधों को अलग करने के लिए लागू होगा। हालाँकि, डिक्री या इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पक्ष के माध्यम से स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति के मामले में, जो एक विशिष्ट घोषणा द्वारा इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या डिक्री से बचना चाहता है, अनुच्छेद 59 के तहत सीमा का प्रारंभिक बिंदु धोखाधड़ी और/या अवैधता की जानकारी की तारीख होगी जो डिक्री और/या इंस्ट्रूमेंट और/या अन्य दस्तावेज़ को शून्य बनाती है।

29. प्रेम सिंह और ओआरएस में। बनाम बीरबल और अन्य। 2006 (5) एस. सी. सी. 353 में अभिलिखित, अपीलार्थी की ओर से उद्धृत, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कोई दस्तावेज वैध होता है, तो उसे रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है; जब -

दस्तावेज़ शून्य है, अलग रखने के लिए एक डिक्री शुरू करना, यह आवश्यक नहीं होगा क्योंकि यह कानून की नजर में गैर-जरूरी है क्योंकि यह एक शून्य होगा।

30. प्रेम सिंह और ओआरएस में। (उपर्युक्त) इस न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 केवल तभी संबंधित है जब उस पर राहत का दावा किया जाता है। अमान्य लेन-देन से बचने के लिए धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, गलती आदि का आधार। अनुच्छेद 59 आकर्षित करता है जहां धोखाधड़ी, जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, गलती आदि को साबित करना होता है। यह लागू नहीं होगा

ऐसे उपकरण जो अनुमानित रूप से अमान्य हैं।

31. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, और ठीक ही कहा कि सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 59 रद्द करने के लिए मुकदमों से संबंधित है

लिखत या डिक्री या किसी अनुबंध को रद्द करने के लिए और उस समय से शुरू होने वाली तीन साल की अवधि निर्धारित करता है जब वादी को लिखत या डिक्री को रद्द करने या अलग रखने या अनुबंध को रद्द करने का अधिकार देने वाला तथ्य पहले उसे पता चलता है। जहाँ तक एक्सएच। उपहार के विलेख का संबंध होने के कारण, दाता के पास इसे रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए, बाद के दस्तावेज अपने आप में बिना अधिकार के और अमान्य थे। घोषणा केवल उपाधि और अधिकार के लिए आकस्मिक थी और इसलिए अनुच्छेद 59 का कोई अनुप्रयोग नहीं था।

32. एस. सरोजिनी अम्मा बनाम वेलायुधन पिल्लई श्रीकुमार

(2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2200) इस अदालत ने तथ्यों पर पाया कि उपहार 680 था

एक सशर्त और शर्तें तथ्यों पर नहीं थीं, यह पाया गया कि उपहार बाद की तारीख से प्रभावी था। फैसला

33. हमारे विचार में, दूसरा ऐप उच्च न्यायालय है। अपील इसके लिए है

बी.

34. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता ऐसी कार्यवाही शुरू करता है: क्षति और वसूली के लिए विक्रेता